(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी पीबीआर 4196–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 481/अपील/2009–10.

सुखराम पिता स्व0श्री महकूलाल पवार
निवासी महदगांव तहसील व जिला बैतूल

.....आवेदक

विरूद्ध

1–पन्नालाल पिता स्व0श्री महकूलाल पवार
2–अन्नालाल पिता स्व0श्री महकूलाल पवार
3–गुलाब पिता स्व0श्री महकूलाल पवार
निवासी महदगांव तहसील व जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0एल0सोनी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम महदगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.878 हेक्टेयर भूमि आवेदक के नाम से संशोधन कमांक 11 आदेश दिनांक 3–10–2005 के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है । आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 10–1–09 को चुकी है । प्रकरण में उभयपक्ष के पिता द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में समस्त पैतृक एवं स्वअर्जित भूमि पारिवारिक व्यवस्था कर आपस में बांट दी थी तथा राजस्व अभिलेखों में पक्षकारगणों का नाम दर्ज करा दिया गया था । नामान्तरण के आधार पर आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर मेढ कायम कर काबिज कास्त चले आ रहे हैं । विवादित भूमि खसरा नम्बर 52/1 आवेदक के पिता द्वारा स्वअर्जित संपत्ति है जिसे उन्होंने अपनी स्वेच्छा अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज कराया था । तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पिता की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–12–2009 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–7–10 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–6–13 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो भूमि उभयपक्ष के पिता द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में पैतृक संपत्ति की व्यवस्था से कर बांट दी थी उसके अतिरिक्त स्वअर्जित संपत्ति पिता द्वारा उनके पुत्रों के मर्जी अनुसार ही जानकर उभयपक्ष काबिज कास्त है तथा मेढ लगाकर

वर्षो से काबज है । यह भी कहा गया कि उभयपक्ष के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित काबिज कराने के लिये सक्षम थे अतः उसी मद में पुत्रगण वर्षो से काबिज है तथा पिता की जानकारी इच्छानुसार काबिज चले आ रहे हैं । नामान्तरण के परिवर्तन से ही उभयपक्ष कथित भूमि के लिये अधिकारिता प्राप्त नहीं करते है अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का आंकलन भी किया जाना था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178(क) के प्रावधानों को समझने में गंभीर भूल की है एवं उपरोक्त आदेश पारित करने में त्रुटि की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के नाम किये गये नामान्तरण में संशोधन विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि के अनुक्रम में वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर किया गया है । आवेदक द्वारा विवादित भूमि पिता स्वयं दी जाने का तथ्य अंकित किया गया है । यह आदेश संशोधन पंजी पर किया गया, जबकि धारा 178–क के अन्तर्गत भूमिस्वामी अपने वारिसों के मध्य भूमि का बटवारा कर सकता है पर तहसीलदार भूमिस्वामी के वारिसो को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देने पर ही आदेश पारित कर सकते हैं । आवेदक अपने पक्ष में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका है । अतः इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है

। इस संबंध में 2012 आरएन 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर